विविध **बैंक प्रकरण संख्या 116/2019** (RCMS **2019/00193**) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–सूरतगढ श्रीगंगानगर, राजस्थान – 335001 बनाम 1. **मैसर्स पनीर हाउस–प्रो. निम्बाराम पुत्र नवलाराम 2. शांति देवी पत्नी श्री निम्बाराम निवासी पुराना वार्ड नं 5/6, न्यू वार्ड नं. 8, नजदीक चोपड़ा मिल, सूरतगढ, श्रीगंगानगर (राज.)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.02.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2019 को वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स पनीर हाउस–प्रो. निम्बाराम को ऋण सुविधा के रूप में 6.00 लाख रूपये (अखरे रूपये छः लाख मात्र) का ऋण दिनांक 16.06.2016 को स्वीकृत किया गया है, जिसकी गारंटर शांति देवी है और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी निम्बाराम एवं शान्ति देवी की सम्पत्ति पुराना वार्ड नं. 5/6 (क्षेत्रफल 20' गुणा 45'), न्यू वार्ड नं 8, नजदीक चोपड़ा मिल, सूरतगढ़ को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.06.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिये गए। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 30.06.2018 को 5,85,788/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 04.01.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने को जारी किये गये। अप्रार्थी प्रो. निम्बाराम एवं शान्ति देवी को धारा 13(2) के नोटिस उन्हें स्वयं द्वारा प्राप्त किये गये है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई है। इसलिए अप्रार्थीगण निम्बाराम

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

एवं शांति देवी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्ति पुराना वार्ड नं. 5/6 (क्षेत्रफल 20' गुणा 45'), न्यू वार्ड नं 8, नजदीक चोपड़ा मिल, सूरतगढ़ का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी निम्बाराम को दिनांक 16.06.2016 को 6.00 लाख रूपये (अखरे रूपये छः लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसकी गारंटर शांति देवी है। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण निम्बाराम एवं शांति देवी की सम्पत्ति पुराना वार्ड नं. 5/6 (क्षेत्रफल 20' गुणा 45'), न्यू वार्ड नं 8, नजदीक चोपड़ा मिल, सूरतगढ़ प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 31.06.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गए। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 04.01.2019 को जारी किये गया है एवं धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थीगण निम्बाराम के स्वयं के हस्ताक्षर एवं शांति देवी के अंगूठे का निशान अंकित है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। जिनकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी उनके द्वारा प्रार्थी बैक की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी सम्पत्ति पुराना वार्ड नं. 5/6 (क्षेत्रफल 20' गुणा 45'), न्यू वार्ड नं 8, नजदीक चोपड़ा मिल, सूरतगढ़ जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 04.01.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 04.01.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण मै पनीर हाउस–प्रो. निम्बाराम एवं शांति देवी पर तामील हो चुकी है, परिणामस्वरूप अप्रार्थी निम्बाराम के हस्ताक्षर एवं शांति देवी के अंगूठे के निशान का धारा 13(2) के नोटिस की प्रति रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस की तामील के बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी निम्बराम एवं शांति देवी की सम्पत्ति पुराना वार्ड नं. 5/6 (क्षेत्रफल 20' गुणा 45'), न्यू वार्ड नं 8, नजदीक चोपड़ा मिल, सूरतगढ़ का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता** है और अप्रार्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

ऋणियों निम्बाराम एवं शांति देवी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई सम्पत्ति पुराना वार्ड नं. 5/6 (क्षेत्रफल 20' गुणा 45'), न्यू वार्ड नं 8, नजदीक चोपड़ा मिल, सूरतगढ़ का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर